

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF EDUCATION
DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION

RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO. 92
ANSWERED ON 31.07.2024

Poor handling of entrance exams by NTA

92. SMT. PRIYANKA CHATURVEDI:

Will the Minister of EDUCATION be pleased to state:

- (a) the action taken against NTA for its poor handling of recent entrance exams including NEET-UG 2024 and UGC-NET;
- (b) whether NTA was set up, without the approval of Parliament of India, under the Societies Registration Act only by a decision of Cabinet, if so, the reasons therefor; and
- (c) the steps taken to make NTA accountable and answerable to the Parliament for its work?

ANSWER

**MINISTER OF EDUCATION
(SHRI DHARMENDRA PRADHAN)**

(a) to (c): A Statement is laid on the table of the House.

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO PARTS (a) TO (c) IN RESPECT OF RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. 92 FOR REPLY ON 31.07.2024 REGARDING “POOR HANDLING OF ENTRANCE EXAMS BY NTA” ASKED BY SMT. PRIYANKA CHATURVEDI, HON’BLE MEMBER OF PARLIAMENT

(a) to (c):

- After the conduct of NEET(UG) 2024 Examination by the National Testing Agency (NTA) on 5th May, 2024, certain cases of alleged irregularities/cheating/malpractices were reported. The Ministry of Education asked the Central Bureau of Investigation to conduct a comprehensive investigation into the entire gamut of alleged irregularities including conspiracy, cheating, breach of trust etc. w.r.t. the NEET(UG) 2024 Examination. The Hon’ble Supreme Court in WP(Civil) 335/2024 and connected matters vide Order dated 23rd July, 2024 said that “At the present stage, there is an absence of material on the record to lead to the conclusion that the entire result of the examination stands vitiated or that there was a systemic breach in the sanctity of the examination.” Further, in compliance of the aforementioned order, the revised result of NEET(UG) 2024 Examination has been declared on 26th July, 2024.
- The matter relating to UGC NET June 2024 examination, which was cancelled on receipt of inputs on the integrity of the examination, had also been entrusted to CBI for thorough investigation on 19th June, 2024, in order to ensure the highest level of transparency and sanctity of the examination process.
- Further, in order to suggest effective measures for transparent, smooth and fair conduct of examinations by NTA, the Ministry of Education has constituted a High-Level Committee of Experts on 22.06.2024 for making recommendations on Reforms in mechanism of examination process, Improvement in Data Security protocols and Structure and functioning of National Testing Agency. The Committee comprises of the following experts:

1	Dr. K. Radhakrishnan, Former Chairman, ISRO and Chairman BoG, IIT Kanpur.	Chairman
2	Dr. Randeep Guleria, Former Director, AIIMS Delhi.	Member
3	Prof. B J Rao, Vice Chancellor, Central University of Hyderabad.	Member
4	Prof. Ramamurthy K, Professor Emeritus, Department of Civil Engineering, IIT Madras.	Member
5	Shri Pankaj Bansal, Co-Founder, People Strong and Board Member- Karmayogi Bharat.	Member
6	Prof. Aditya Mittal, Dean Student Affairs, IIT Delhi	Member
7	Shri Govind Jaiswal , Joint Secretary, Ministry of Education, Govt. of India	Member Secretary

- The Committee has also co-opted two more members i.e., Prof. Amey Karkare, Professor of Computer Science and Engineering, IIT Kanpur and Dr. Debapriya Roy, Assistant Professor,

IIT Kanpur. The Terms of Reference of the Committee is attached as **Annexure**. The Hon'ble Supreme Court in WPC 335/2024 and connected matters, Order dated July 23rd, 2024, para 23, has said that “the committee will abide by such further directions as may be issued by this Court in its final judgement and order in regard to areas which should be enquired into by it so as to ensure that (i) the process of conducting NEET(UG) and other examinations falling within the remit of NTA is duly strengthened; and (ii) the instances which came to light during the course of present year are not repeated in future.”

- With prior approval of Union Cabinet dated 10th November, 2017, NTA was set up as an Autonomous Body of Government of India under the aegis of the then Ministry of Human Resource Development (which has been renamed later as Ministry of Education). NTA has been registered on 15 May 2018 as a Society under the Societies Registration Act, 1860 as a legal entity. The Central Government has enacted the Public Examination (Prevention of Unfair Means) Act 2024. Stringent provisions have been made in this Act to address unfair means practices in conduct of public examinations. It is pertinent to mention that NTA is a Public Examination Authority as specified in the Schedule of the said Act, thereby bringing any examination conducted by it under the purview of the Act.

ANNEXURE REFERRED TO PART (A) to (C) OF THE REPLY OF RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. 92 ANSWERED ON 31.07.2024 ASKED BY SMT. PRIYANKA CHATURVEDI, HON'BLE MEMBER OF PARLIAMENT REGARDING "POOR HANDLING OF ENTRANCE EXAMS BY NTA"

Terms of Reference of the High Level Committee of Experts

(i) Reform in mechanism of examination process

(a) To analyse the end-to-end examination process and suggest measures to improve efficiency of the system and to forestall any possible breach.

(b) To conduct a thorough review of the Standard Operating Procedures (SOPs)/Protocols of the NTA, and suggest measures to strengthen these procedures/protocols along with monitoring mechanism to ensure compliance at every level.

(ii) Improvement in Data Security protocols

(a) To evaluate the existing data security processes and protocols of NTA and recommend measures for its improvement.

(b) To examine existing security protocols related to the paper-setting and other processes for different examinations and make recommendations to enhance robustness of system.

(iii) Structure & Functioning of National Testing Agency

(a) To make recommendations on the organizational structure and functioning of the National Testing Agency (NTA) for implementation of recommendations given under point 3(i) and 3(ii) and clearly defining the roles and responsibilities of functionaries at every level.

(b) Assess the current Grievance Redressal Mechanism of the NTA, identify areas of improvement and make recommendations for enhancing its efficiency.

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या-92
उत्तर देने की तारीख-31/07/2024

एनटीए द्वारा प्रवेश परीक्षाओं का संचालन ठीक से नहीं किया जाना

92 श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नीट-यूजी 2024 और यूजीसी-नेट सहित हाल की प्रवेश परीक्षाओं का संचालन ठीक से नहीं किए जाने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ख) क्या एनटीए की स्थापना भारत की संसद के अनुमोदन के बिना सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अंतर्गत केवल मंत्रिमंडल के निर्णय द्वारा की गई थी, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) एनटीए को उसके कार्य के लिए संसद के प्रति जवाबदेह और उत्तरदायी बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
शिक्षा मंत्री
(श्री धर्मेन्द्र प्रधान)

(क) से (ग) विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

"एनटीए द्वारा प्रवेश परीक्षाओं का संचालन ठीक से नहीं किया जाना" के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी द्वारा दिनांक 31.07.2024 को पूछे जाने वाले राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 92 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (ग):

- राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा 5 मई, 2024 को नीट-(यूजी) 2024 परीक्षा आयोजित किए जाने के बाद, कथित अनियमितताओं/धोखाधड़ी/कदाचार के कुछ मामले सामने आए थे। शिक्षा मंत्रालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो को नीट-(यूजी) 2024 परीक्षा के संबंध में साजिश, धोखाधड़ी, विश्वासघात आदि सहित कथित अनियमितताओं के मामलों की व्यापक जांच करने को कहा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने डब्ल्यूपी (सिविल) 335/2024 और संबंधित मामलों में 23 जुलाई, 2024 के आदेश में कहा कि "वर्तमान स्तर में, ऐसे साक्ष्यों का अभाव है, जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि परीक्षा का पूरा परिणाम त्रुटिपूर्ण है या परीक्षा की सुविधा में व्यवस्थागत कमी है।" इसके अलावा, उपर्युक्त आदेश के अनुपालन में, नीट-(यूजी) 2024 परीक्षा का संशोधित परिणाम 26 जुलाई, 2024 को घोषित कर दिया गया है।
- यूजीसी नेट जून 2024 परीक्षा से संबंधित मामलों, जिसे परीक्षा की अखंडता पर सूचना मिलने पर रद्द कर दिया गया था, को भी 19 जून, 2024 को गहन जांच के लिए सीबीआई को सौंपा गया था, ताकि परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता और सुविधा का उच्चतम स्तर सुनिश्चित किया जा सके।
- इसके अलावा, एनटीए द्वारा परीक्षाओं के पारदर्शी, सुचारु और निष्पक्ष संचालन के लिए प्रभावी उपाय सुझाने हेतु, शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षा प्रक्रिया के तंत्र में सुधार, डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुधार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की संरचना और कार्यप्रणाली पर सिफारिशें करने के लिए 22.06.2024 को विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। समिति में निम्नलिखित विशेषज्ञ शामिल हैं:

1	डॉ. के. राधाकृष्णन, पूर्व अध्यक्ष, इसरो और अध्यक्ष शासी बोर्ड, आईआईटी कानपुर	अध्यक्ष
2	डॉ. रणदीप गुलेरिया, पूर्व निदेशक, एम्स दिल्ली	सदस्य
3	प्रो. बी. जे. राव, कुलपति, केंद्रीय विश्वविद्यालय हैदराबाद	सदस्य
4	प्रो. राममूर्ति के, प्रोफेसर एमेरिटस, सिविल इंजीनियरिंग विभाग, आईआईटी मद्रास	सदस्य
5	श्री पंकज बंसल, सह-संस्थापक, पीपल स्ट्रॉन्ग और बोर्ड	सदस्य

	सदस्य- कर्मयोगी भारत	
6	प्रो. आदित्य मित्तल, डीन छात्र मामले, आईआईटी दिल्ली	सदस्य
7	श्री गोविंद जायसवाल, संयुक्त सचिव, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य-सचिव

- समिति ने दो और सदस्यों को भी शामिल किया है, अर्थात प्रोफेसर प्रो. अमेय करकरे, कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग, आईआईटी कानपुर और सहायक प्रोफेसर डॉ. देबप्रिया रॉय, आईआईटी कानपुर। समिति के विचारार्थ विषय **अनुलग्नक** के रूप में संलग्न हैं। डब्ल्यूपीसी 335/2024 और संबंधित मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 23 जुलाई, 2024 के आदेश के पैरा 23 में कहा है कि "समिति इस न्यायालय द्वारा अपने अंतिम निर्णय और आदेश में उन क्षेत्रों के संबंध में जारी किए जा सकने वाले ऐसे अन्य निर्देशों का पालन करेगी, जिनकी जांच उसके द्वारा की जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि (i) नीट-(यूजी) और एनटीए के अधिकार क्षेत्र में आने वाली अन्य परीक्षाओं के आयोजन की प्रक्रिया को विधिवत मजबूत किया जाए और (ii) इस वर्ष सामने आई घटनाओं की भविष्य में पुनरावृत्ति न हों।"
- केंद्रीय मंत्रिमंडल की पूर्व स्वीकृति से 10 नवंबर, 2017 को, तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय (जिसे बाद में शिक्षा मंत्रालय का नाम दिया गया) के तत्वावधान में भारत सरकार के एक स्वायत्त निकाय के रूप में एनटीए की स्थापना की गई थी। एनटीए को 15 मई 2018 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक विधिक इकाई के रूप में पंजीकृत किया गया है। केंद्र सरकार ने लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 2024 अधिनियमित किया है। लोक परीक्षाओं के संचालन में अनुचित साधनों के प्रयोग को रोकने के लिए इस अधिनियम में कड़े प्रावधान किए गए हैं। यह उल्लेख करना उचित है कि एनटीए एक लोक परीक्षा प्राधिकरण है जैसा कि उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, जिससे इसके द्वारा आयोजित कोई भी परीक्षा अधिनियम के दायरे में आती है।

"एनटीए द्वारा प्रवेश परीक्षाओं का संचालन ठीक से नहीं किया जाना" के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी द्वारा दिनांक 31.07.2024 को पूछे जाने वाले राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 92 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय समिति के विचारार्थ विषय

(i) परीक्षा प्रक्रिया के तंत्र में सुधार

(क) संपूर्ण परीक्षा प्रक्रिया का विश्लेषण करना तथा प्रणाली की दक्षता में सुधार करने तथा किसी भी संभावित उल्लंघन को रोकने के लिए उपायों का सुझाव देना।

(ख) एनटीए की मानक प्रचालन प्रक्रियाओं (एसओपी)/प्रोटोकॉल की गहन समीक्षा करना तथा प्रत्येक स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निगरानी तंत्र के साथ-साथ इन प्रक्रियाओं/प्रोटोकॉल को मजबूत करने के लिए उपायों का सुझाव देना।

(ii) डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुधार

(क) एनटीए की मौजूदा डेटा सुरक्षा प्रक्रियाओं और प्रोटोकॉल का मूल्यांकन करना और इसके सुधार के लिए उपायों की सिफारिश करना।

(ख) विभिन्न परीक्षाओं के लिए पेपर-सेटिंग और अन्य प्रक्रियाओं से संबंधित मौजूदा सुरक्षा प्रोटोकॉल की जांच करना और सिस्टम की मजबूती बढ़ाने के लिए सिफारिशें करना।

(iii) राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की संरचना और कार्यप्रणाली

(क) बिंदु 3(i) और 3(ii) के तहत दी गई सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) की संगठनात्मक संरचना और कार्यप्रणाली पर सिफारिशें करना और प्रत्येक स्तर पर पदाधिकारियों की भूमिका और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना।

(ख) एनटीए के वर्तमान शिकायत निवारण तंत्र का आकलन करना, सुधार के क्षेत्रों की पहचान करना और इसकी दक्षता बढ़ाने के लिए सिफारिशें करना।

SHRIMATI PRIYANKA CHATURVEDI: Sir, my question was regarding the accountability and NTA being answerable to the Parliament of India. I haven't got the answer but the question that I want to ask as my first supplementary is this. The NEP-2020 specifies the NTA will work to offer a high-quality common aptitude test which shall aim to eliminate the need for taking coaching for these exams. Is the Government aware that the Common University Entrance Test, as designed in consonance with NEP, has led to the cropping of more coaching centres all over the country? What measures are being taken against such coaching centres which contradict the aim of the exam?

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : सभापति महोदय, आदरणीय सदस्या का एक मूल प्रश्न है, जिसमें उन्होंने यह बात शुरू की है कि क्या एनटीए पार्लियामेंट के प्रति एकाउंटेबल है या नहीं है। सभापति महोदय, आपने प्रश्न पूछने की अनुमति दी है, मैं उत्तर दे रहा हूँ, यही पार्लियामेंटरी एकाउंटेबिलिटी है। इसी प्रकार से एनटीए भी पार्लियामेंट के प्रति विभिन्न स्तर पर एकाउंटेबल है।

महोदय, दूसरी बात यह है कि एनईपी में इस बात का सुझाव दिया गया था देश के विद्यार्थियों के अंदर धीरे-धीरे परीक्षा के सुधार के लिए, उसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए एनटीए कई प्रकार की परीक्षाएं विद्यार्थियों के लिए विशेष कर ले। उसी तथ्य के आधार पर एनटीए ने 2017 से शुरू होकर 2018 में एक आकार लिया। पिछले लगभग छह सालों में 5 करोड़ से ज्यादा विद्यार्थी विभिन्न परीक्षाओं में सफलता के साथ अपियर हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं और विभिन्न इंस्टीट्यूशन्स में उनके एडमिशन भी हुए हैं। महोदय, 250 तक परीक्षाएं आयोजित की गई हैं। मैं आपकी अनुमति से सदन के सामने एक बात रखना चाहूंगा कि आज देश के युवाओं, विशेषकर जो aspirational society का तबका है - neo middle class - देश में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से उठकर ऊपर आ रहे हैं। सबके मन में यह priority है और आगे बढ़ने के लिए एजुकेशन उसका माध्यम है।

सर, मैं आपकी अनुमति से एक ही उदाहरण दूंगा। जब प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने जिम्मेवारी ली थी, तब देश में मेडिकल सीट्स की संख्या 50,000-51,000 थी, लेकिन हमने पिछले दस सालों में उसे बढ़ाकर आज 1 लाख, 10 हजार तक पहुँचाया है। महोदय, विद्यार्थियों में, नौजवानों में अच्छा करने की जो स्पर्धा है, उसमें कोचिंग सेंटर हमारी प्रतिबद्धता है। सरकार की ओर से कोचिंग सेंटर न हो - मुझे यह बात कहने में कोई झिझक नहीं है कि इसमें सबकी सहायता, सबकी मदद चाहिए। शिक्षा की गुणवत्ता इतनी बढ़िया हो, सरकारी स्कूल्स पर फोकस किया जाए - आज हमारे सेंट्रल स्कूल्स और नवोदय विद्यालय इसकी मिसाल हैं। अनेक राज्यों में, आपके राज्य, अच्छी पढ़ाई होती है। पिछले दिनों हाउस में तर्क उठा था कि सीकर ने क्यों अच्छा किया? सभापति महोदय, मैंने बाद में सीकर जाकर सामाजिक व्यक्तित्वों से बात की। आप सीकर के बारे में मुझसे ज्यादा जानते होंगे कि पुराने समय से ही सीकर पढ़ाई-लिखाई का एक केंद्र रहा है। ऐसे ही स्टेट बोर्ड्स पर आधारित अनेक केंद्र हैं, जहाँ पर पढ़ाई को अच्छी प्रॉयरेटी दी गई है। हमें सभी की सहमति बनाते हुए देश के विद्यार्थियों को धीरे-धीरे कोचिंग सेंटर की

दुनिया से बाहर लाना पड़ेगा। हमें उन्हें कानूनी तरीके से, सामाजिक तरीके से बाहर लाना पड़ेगा और इसके लिए हमें सभी का सहयोग चाहिए।

MR. CHAIRMAN: I think कि प्रियंका जी ने बहुत अच्छा सप्लीमेंटरी प्रश्न पूछा, जिससे इतना विस्तृत जवाब आया है। प्रियंका जी, आप अपना दूसरा सप्लीमेंटरी प्रश्न पूछिए।

SHRIMATI PRIYANKA CHATURVEDI: But I am not satisfied with the answer that he has given. Very nice that he said accountability तय कर रहे हैं, तो इसलिए पार्लियामेंट में जवाब दे रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि भविष्य में जो भी एनटीए चेयर पर्सन बनेंगे, वे इस पार्लियामेंटरी स्टैंडिंग कमेटी में आकर इन सारे सवालों का विस्तृत रूप में जवाब देंगे।

Now, I come to my second supplementary. सर, क्या सरकार के पास कोई डेटा है, जो बता रहा है कि the students are moving abroad to pursue medical degrees due to irregularities in NEET testing, usage of unfair means in examination and low number of seats in the Government medical colleges? What measure has the Government taken to avoid this 'brain drain'?

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : सभापति महोदय, मैंने आदरणीय प्रियंका जी को कहा कि एनटीए और सरकार के कोई भी इंस्ट्रूमेंट की पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर अपटु सीएजी ऑडिट सभी प्रकार की अकाउंटेबिलिटी है। इस सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। हम यह ज़ीरो वाली थ्योरी पर... पिछले दिनों में जो मित्र सरकारों में रहे हैं, इन्होंने सीएजी ऑडिट का जीरो के बराबर हिसाब किया था, सर, हम उस बिरादरी के नहीं हैं। हम सभी प्रकार की अकाउंटेबिलिटी के साथ, प्रतिबद्धता के साथ कहते हैं। मैंने अभी-अभी उनकी पहली सप्लीमेंट्री में उत्तर दिया कि 2014 में देश में मेडिकल शिक्षा में 51,000 सीट्स थीं, Today, the number of seats is 1,10,000. Our Government is committed to open a medical college gradually in each district of the country, इसलिए यह हमारे ऊपर बेबुनियाद आरोप है। यह बात सही है कि आज जितने नंबरर्स में विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं, क्या उतनी सीट्स होनी चाहिए, तो होनी चाहिए। इस विषय को लेकर मेरी सरकार को कहना कि आपने squeeze कर दिया, कम कर दिया, तो मैंने तो हिसाब दिया है। आपके सामने तथ्य दिए हैं। सभापति जी, तथ्य को सबको स्वीकार कर लेना चाहिए।

MR. CHAIRMAN: Supplementary no.3 - Shri Manoj Kumar Jha.

श्री मनोज कुमार झा : माननीय सभापति महोदय, मेरा सवाल सरल और सहज है। मैं विश्वविद्यालय से आता हूँ। मेरे विभाग में भी सीयूईटी के थ्रू एडमिशन होता है। सर, एनटीए की इवेल्यूएशन का क्या कोई mechanism है? विभागों का एक चरित्र होता है, कोर्स का एक चरित्र होता है और एनटीए की जो पूरी वस्तुनिष्ठ प्रश्नावली होती है - ऑब्जेक्टिव, जिसमें subject-

specific inclination का अभाव होता है। इस दिशा में एनटीए के मॉड्यूल की मॉनिटरिंग की कोई लगातार व्यवस्था है या नहीं?

श्री सभापति : माननीय मंत्री जी, मनोज झा जी ने हाथ जोड़कर सप्लीमेंट्री पूछी है।

श्री धर्मेंद्र प्रधान : सभापति महोदय, मनोज झा जी इस सदन के बड़े आदरणीय और विद्वान सदस्य भी हैं। वे खुद प्राध्यापक भी हैं। मैं आपके माध्यम से, उन्हें आश्वस्त करना चाहूँगा कि एनटीए एक व्यवस्था है, जो परीक्षा करवाती है, लेकिन उन्होंने एक अच्छा विषय उठाया है। जो प्रश्न आता है, वह ऑब्जेक्टिव प्रश्न के नाते आता है, तो क्या यह totality of subject capture कर पाता है, यह उनका प्रश्न है। मैं इसे स्वीकार करता हूँ, लेकिन प्रश्न को बनाने वाला व्यक्ति भी मनोज झा जी जैसा कोई विद्वान प्राध्यापक ही हैं। सर, समय-समय से परीक्षा की अप्रोच कैसी हो, पैटर्न कैसा हो, यह एक evolutionary प्रक्रिया में एक डायनेमिक सब्जेक्ट है। जो मनोज झा जी की बिरादरी परामर्श करती है, वैसे ही क्वेश्चन को सेट किया जाता है और आगे भी किया जाएगा।

MR. CHAIRMAN: So, Professor, NTA is not an NPA. It is very much functional. Now, supplementary No. 4 - Shri P. Wilson.

SHRI P. WILSON: Sir, they are against Emergency. Prior to the 42nd Constitution Amendment, 'Education' was in List-II. Why don't you think of restoring 'Education' to List-II, as the State will take localised, contextual, responsible, educational policies that cater to diverse needs of our country, including conducting exams for its students? Education should be about nurturing minds, fostering creativity and promoting critical thinking, not about surviving a barrage of exams.

SHRI DHARMENDRA PRADHAN: Hon. Chairman, Sir, when you respectfully called the name of Shri P. Wilson, I was expecting exactly this question from him.

MR. CHAIRMAN: I thought only our Meteorological Department was very accurate in anticipation! There must be some very good equation between two of you.

SHRI DHARMENDRA PRADHAN: He is a good friend of mine. He has raised a very pertinent question. There are two parts of this question. One is political because it is the political will and authority which created this arrangement whether this will be put in the State List or not, whether this should go to the Concurrent List and what should be the responsibility of which Government.

Part two of the question is about the quality of the examination and standard of the students. Are they competitive enough to appear in all India tests? I will answer

part two of the question first. He has a point but it is a fact that now-a-days, the way examination is conducted, this Government is very much careful about the standards and capacity of State Boards. We respect, we believe that the State Boards have their own competency and they are qualitative. Last year only, a girl student from the hon. Member's State, from the rural area, stood first in the NEET All-India Entrance Examination. This shows that in the entire country, students have accepted a model which has been practiced by last seven decades. Part one of the question is, when it did come to the Concurrent List. Mr. Wilson, you are a seasoned politician. Your Party, DMK was part of the ruling alliance for decades in the Centre. Why didn't you correct it, which, according to you, is an anomaly? According to me, it is a good practice. Education should be in the Concurrent list and both the Governments should be answerable and accountable to students of the country and both have respective roles. The leadership, at one stage, did this. I think, Madam Indira Gandhi, when she was the Prime Minister, started this practice. The then Government amended the law and put it in the Concurrent List. It is a good practice till date. Due to this practice, the nature of education is of all India level and there is compatibility in the entire country. Who stopped you not to pursue this with the Congress Government to go back to the old system when you were in power during 2004-2014? Why are you raising this question now in front of us?

MR. CHAIRMAN: Supplementary number 5. Shri Ramji Lal Suman.

श्री रामजी लाल सुमन : सभापति जी, अभी नीट की परीक्षा हुई। वह परीक्षा एनटीए ने कराई थी।
*...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Hon. Member... *...(Interruptions)...* No, no.

श्री रामजी लाल सुमन : सर, *...(व्यवधान)...*

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, you have to put your supplementary.
...(Interruptions)... You have no basis for... *...(Interruptions)...*

श्री रामजी लाल सुमन : * *...(व्यवधान)...*

* Not recorded.

* Not recorded.

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record. ...*(Interruptions)*...

Hon. Member, I have asserted in the House that the organization has unimpeachable credentials. ...*(Interruptions)*... We cannot go in a manner...
...*(Interruptions)*... I take exception to it. It will not go on record.
...*(Interruptions)*... I have said so on the floor of the House. ...*(Interruptions)*... We cannot go in a manner to make it political. Please put your pointed supplementary.
...*(Interruptions)*... Nothing else will go on record. ...*(Interruptions)*... Priyanka ji. ...*(Interruptions)*... Nothing is going on record. Please put your supplementary.

श्री रामजी लाल सुमन : सर, मैं पूछ रहा हूँ। ...*(व्यवधान)*...

MR. CHAIRMAN: Take your seat ...*(Interruptions)*...

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : सर, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, क्योंकि आप इस सदन के guardian हैं, लेकिन जो सदस्य कानून के तहत बोल रहा है, रूल्स के तहत बोल रहा है, जब तक वह रूल्स violate नहीं करता, तब तक उसको यह कहना कि यह बात मत करो, वह बात मत करो, यह कहना ठीक नहीं है।

MR. CHAIRMAN: Your point is taken.

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : वे जो कह रहे हैं, वह सच कह रहे हैं। ...*(व्यवधान)*... जब सच कहते हैं, ...*(व्यवधान)*... जब सच कहते हैं, ...*(व्यवधान)*... वे सच कह रहे हैं, उसका वे उत्तर देंगे। ...*(व्यवधान)*... नहीं, तो यह अच्छा नहीं है। ...*(व्यवधान)*...

MR. CHAIRMAN: Sir, please take your seat. You have made your point. ...*(Interruptions)*...

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : वे आपका दुरुपयोग कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*...

MR. CHAIRMAN: You have made your point. Please ...*(Interruptions)*...

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : यह अच्छा नहीं है। ...*(व्यवधान)*... यह अच्छा नहीं है। ...*(व्यवधान)*... वे जो बोल रहे हैं, वह सच बोल रहे हैं और उसमें कुछ गलत नहीं है। ...*(व्यवधान)*...

SHRIMATI PRIYANKA CHATURVEDI: Sir,...(*Interruptions*)..

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, take your seat. I don't want to name you. Take your seat. I have said this and this is not for the first time. I am only reiterating this. The nation needs to get benefit...(*Interruptions*)... Would you take your seat? Or should I name you? ...(*Interruptions*)... Shrimati Priyanka Chaturvedi. Hon. Members, 1.4 billion people have to make contribution for the growth of this nation. Every organisation associated with the development of the nation should come forward. It is soothing to note, it is wholesome to note that the RSS as an organisation has been contributing for national welfare and our culture. Everyone should, as a matter of fact, take pride in any organisation which is acting in this manner. Now, Question No.93. But before that, let me tell you, hon. Members, if we take exception like this, it is indicative of undemocratic situations. It is antithetical to the Preamble of our Constitution. We are doing great disservice to the nation and the Constitution by taking such divisive stance. I find that people are increasingly engaging in divisive activities. This is a pernicious design, a sinister mechanism to run down the growth of the country. I have reflected on several occasions that attempts are being made within the country and outside to taint, tarnish and demean our institutions, constitutional institutions. It needs to be deprecated by all of us. If we fail to do it, our silence on this occasion will resonate in our ears in years to come. After thoughtfully taking into consideration constitutional essence, constitutional spirit and rules of the House, I rule that any such observation is not only offensive to the Constitution but offensive to the growth trajectory of the nation. Any organisation, including the RSS, is duly entitled to contribute to the journey of this nation.

Now, Question No.93. Shri Samik Bhattacharya.